अध्याय–III

विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय-III

3. विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा किये गए संव्यवहारों की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

लोक निर्माण विभाग

3.1 अतिरिक्त सड़क क्रस्ट बिछाने के कारण परिहार्य व्यय

लोक निर्माण विभाग ने लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के गलत मूल्य पर गणना करने के कारण सड़क के क्रस्ट में डेन्स बिटुमिनस मैकडैम और बिटुमिनस कंक्रीट की मोटी परतें बिछाकर ₹ 2.02 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर–205 में कहा गया है कि प्रत्येक लोक अधिकारी से सार्वजनिक धन से होने वाले व्यय के सम्बन्ध में उतनी ही सतर्कता की अपेक्षा की जाती है जितनी कि एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के सम्बन्ध में करेगा।

भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी): 37–2012 के प्रस्तर 4.5.1 (ii) में कहा गया है कि दो लेन वाली सिंगल कैरिजवे सड़कों का डिजाइन दोनों दिशाओं में वाणिज्यिक वाहनों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत, अर्थात् लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर (एलडीएफ) पर आधारित होना चाहिए।

सरकार ने सेंट्रल रोड फंड योजना के तहत 15.300 किमी लंबी अलीगढ़–रामघाट रोड से गांवखेड़ा गोधा सीटीके रोड (अन्य जिला रोड) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 29.44 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 2016)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, आगरा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), आगरा द्वारा प्रदान की गई (अगस्त 2016)। अधीक्षण अभियंता, अलीगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग ने कार्य की स्वीकृत अनुमानित लागत से 0.60 प्रतिशत कम पर एक ठेकेदार[1] के साथ एक अनुबंध निष्पादित किया। कार्य अगस्त 2016 में प्रारंभ किया गया और मार्च 2018 में पूरा किया गया।

साइट ट्रैफिक डेटा (नवम्बर 2015) के अनुसार, पैसेंजर कार यूनिट[2] (पीसीयू) के रूप में ट्रैफिक वॉल्यूम 11,875 था और कमर्शियल व्हीकल प्रतिदिन (सीवीपीडी) के रूप में ट्रैफिक लोड 847 था। अग्रेतर, विस्तृत आगणनों में, सड़क की उप–श्रेणी की मिट्टी का कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात[3] (सीबीआर) 6 प्रतिशत था। मौजूदा सड़क को यातायात भार वहन करने के लिए मजबूत किया जाना था और यातायात की मात्रा को समायोजित करने के लिए इसे 3.70 मीटर से बढ़ाकर 7.00 मीटर किया जाना था।

---

[1] सं. 35/एसई/2016–17 ठेकेदार मैसर्स नरेंद्र बिल्डर्स, अलीगढ़ के साथ ₹ 26.89 करोड़ का निविदा मूल्य बातचीत के द्वारा तय किया।

[2] पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) मिश्रित ट्रैफिक स्थिति में विषमता से निपटने के लिए व्यक्तिगत वाहन श्रेणी के ट्रैफिक वॉल्यूम को दिया गया एक सापेक्ष महत्वपूर्ण कारक है।

[3] कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात (सीबीआर) टेस्ट को प्रति यूनिट क्षेत्र के अनुपात बल के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे मिट्टी के द्रव्यमान में मानक गोलाकार पिस्टन के प्रवेश के लिए आवश्यक 1.25 मिलीमीटर प्रति मिनट की दर के साथ मानक सामग्री में अनुपातिक प्रवेश के सापेक्ष होती है।

अधिशासी अभियंता (ईई), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2018) में पता चला कि सड़क के सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण के लिए आवश्यक क्रस्ट मोटाई के आकलन के लिए तकनीकी रूप से स्वीकृत विस्तृत अनुमान (अनुमान) में एलडीएफ निर्धारित 0.50 के बजाय 1.0 लिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एलडीएफ को गलत तरीके से लेने के कारण, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल[4] (एमएसए) के संदर्भ में डिजाइन ट्रैफिक की गणना 15 एमएसए के रूप में की गई थी जो कि 7.50 एमएसए होनी चाहिए थी **(परिशिष्ट–3.1)**। विस्तृत अनुमान के अनुसार, सड़क की 250 मिमी की मौजूदा परत की मोटाई को 15 एमएसए के डिजाइन ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए वेट मिक्स मैकडैम (डब्ल्यूएमएम) की 250 मिमी मोटी परत, उसके बाद 75 मिमी डेंस ग्रेडेड बिटुमिनस मैकडैम (डीबीएम) और 40 मिमी बिटुमिनस कंक्रीट (बीसी), को बिछाकर मजबूत किया जाना था। यद्यपि, डिजाइन ट्रैफिक भार 7.5 एमएसए के लिए और 6 प्रतिशत के सीबीआर के लिए, आईआरसी–37:2012 की प्लेट–4[5] के अनुसार केवल 60 मिमी डीबीएम और 35 मिमी बीसी बिछाकर जरूरी क्रस्ट प्राप्त किया जा सकता था।

इस प्रकार, एमएसए की गणना में एलडीएफ के गलत मूल्य को लेने के कारण, डीबीएम और बीसी की अधिक मोटी परतें बिछाई गईं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.02 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ **(परिशिष्ट–3.2)**।

उत्तर में, ईई, प्रान्तीय खण्ड, अलीगढ़ ने कहा (जून 2021) कि, सड़क की डिजाइन अवधि 15 वर्ष ली गई थी इसलिए परतों की मोटाई सही थी।

ईई का यह तर्क कि सड़क को 15 वर्षों के लिए डिजाइन किया गया था, सही नहीं है क्योंकि तकनीकी स्वीकृत आगणन में सड़क को 10 वर्षों के लिए डिजाइन किया गया था। इसलिए, एलडीएफ लिये गये 1 के बजाय 0.50 लिया जाना चाहिए था।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

3.2 बांदा बाईपास सड़क के निर्माण में व्यर्थ व्यय

लोक निर्माण विभाग द्वारा बांदा बाईपास सड़क पर ₹ 41.89 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया गया जो निर्धारित समापन अवधि से नौ वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित न करने एवं निष्पादित मिट्टी के कार्य को सुरक्षित न करने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका।

उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका-VI (एफएचबी) के प्रस्तर 378 में प्रावधान है कि उस भूमि पर कोई भी काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसे जिम्मेदार सिविल अधिकारियों द्वारा काम के लिए हस्तगत न किया जाए।

बांदा शहर में ट्रैफिक जाम से राहत और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारी ट्रैफिक को मोड़ने की दृष्टि से, राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग (विभाग) को ₹ 44.09 करोड़ की लागत से 'बांदा बाईपास सड़क (रिंग रोड) के शेष भाग (10.7 किमी

4 स्टैंडर्ड एक्सल 80 किलो न्यूटन (बल की इकाई) भार वहन करने वाले दोहरे पहिये के साथ सिंगल एक्सल का भार है और सड़क की पटरी का डिजाइन मानक एक्सल लोड पर आधारित है।

5 सीबीआर–6 प्रतिशत और एमएसए 2 से 150 तक से सम्बन्धित सड़क की पटरी के लिए प्लेट–4 डिजाइन कैटलॉग है।

के लिए) के निर्माण' की मंजूरी दी (जून 2011)। मुख्य अभियंता, झांसी क्षेत्र ने कार्य के विस्तृत आगणन पर तकनीकी स्वीकृति दी (जून 2011)। अधीक्षण अभियंता, बांदा क्षेत्र ने दो ठेकेदारों के साथ एक वर्ष की निर्धारित पूर्णता अवधि अर्थात् जून 2012 तक कार्य के निष्पादन के लिए ₹ 37.83 करोड़ का अनुबंध[6] किया (जून 2011)। सरकार ने कार्य के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए ₹ 13.55 करोड़ भी स्वीकृत (जून 2011) किया जिसे बाद में संशोधित (जून 2019) कर ₹ 21.66 करोड़ किया गया। मार्च 2021 तक, विभाग कार्य के लिए आवश्यक भूमि की संशोधित आवश्यकता[7] 47.57 हेक्टेयर के विरूद्ध केवल 40.02 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर सका।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2021) कि विभाग ने आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य के निष्पादन के लिए ठेके प्रदान कर दिए (जून 2011)। यह भी देखा गया कि धन की कमी के कारण भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका क्योंकि परिवर्तित भूमि अधिग्रहण नीति के तहत भूस्वामियों को बढ़ा हुआ मुआवजा देय था। सड़क के संरेखण में परिवर्तन के बावजूद, जिससे भूमि की आवश्यकता कम हो गई, विभाग कार्य के लिए आवश्यक पूर्ण भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सका। इस प्रकार कार्य पूर्ण नहीं हो सका तथा मार्च 2017 में कार्य का निष्पादन रोक दिया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि विभाग ने मिट्टी कार्य एवं पुलिया कार्य के प्रति ₹ 21.89 करोड़[8] की राशि का अधिक कार्य निष्पादित किया, जो ₹ 44.09 करोड़ की स्वीकृत अनुमानित लागत का 49.65 प्रतिशत था। ₹ 41.89 करोड़ खर्च करने के बाद विभाग सड़क निर्माण के सुरक्षित स्तर का मात्र 1.6 किमी ही प्राप्त कर सका। यह देखा गया कि यह मामला तकनीकी मूल्यांकन समिति, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (टीईसी) को संदर्भित किया गया था (जून 2019)। टीईसी ने पाया (अक्टूबर 2020) कि कार्य के निष्पादन के दौरान निर्देशों का उल्लंघन कर अत्यधिक विचलन किया गया। आगे यह भी देखा गया कि विशिष्टियों एवं प्राक्कलन की दरों में भारी परिवर्तन के कारण कार्य का निष्पादन अब संभव नहीं था, इसलिए कार्य हेतु नवीनतम विशिष्टियों एवं यातायात भार के आधार पर तैयार किये गए नए आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ली जानी चाहिए।

इस प्रकार, आवश्यक भूमि का कब्जा प्राप्त किये बिना कार्य के निष्पादन के कारण ₹ 41.89 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ क्योंकि कार्य की निर्धारित अवधि की समाप्ति के नौ वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी आवश्यक भूमि के अभाव में इसे पूरा नहीं किया जा सका। अग्रेतर, विभाग द्वारा किये गए मिट्टी के काम में लंबी अवधि के समाप्त होने के कारण क्षरण की पूरी संभावना है क्योंकि यह 10.700 किमी सड़क के अनुमानित निष्पादन के विरूद्ध मात्र 1.60 किमी के लिए सुरक्षित किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सड़क के संरेखण में भूमि की अपूर्ण उपलब्धता के कारण केवल मिट्टी का काम ही किया जा सका जो कि 1.6 किमी की लंबाई में सुरक्षित किया गया था। अग्रेतर, मुख्य अभियंता ने साइट की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अनुमानित प्रावधान से मात्रा के विचलन को मंजूरी दी (अप्रैल 2013)।

---

6 अनुबंध संख्या 16/एसई/2011–12 दिनांक 28.06.2011 मैसर्स प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को ₹ 22.27 करोड़ के लिए और अनुबंध संख्या 17/एसई/2011–12 दिनांक 29.06.2011 मैसर्स प्रभुनाथ प्रसाद को ₹ 15.56 करोड़ के लिए।

7 भूमि की माप 87.97 हेक्टेयर से घटाकर 47.57 हेक्टेयर कर दी गई।

8 मिट्टी के कार्य पर अधिक व्ययः ₹ 11.69 करोड़ और पुलिया कार्य पर अधिक व्ययः ₹ 10.20 करोड़।

यह भी जोड़ा गया कि वर्तमान में 90 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और संशोधित आगणन के अनुमोदन के पश्चात् कार्य निष्पादित किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य प्रारंभ करने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका तथा कार्य पर ₹ 41.89 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया गया।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

सरकार, व्यर्थ व्यय के लिए सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने हेतु प्रकरण की जाँच कर सकती है।

3.3 पर्यवेक्षण प्रभार का अधिक भुगतान

लोक निर्माण विभाग ने विद्युत अवसंरचना के स्थानांतरण हेतु पर्यवेक्षण प्रभार के रूप में ₹ 4.45 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने डिपॉजिट कार्यों के लिए अनुमान तैयार करते समय 15 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार लगाने का निर्णय लिया (अप्रैल 2002)।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्टूबर 2021) कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने ₹ 3,958.08 करोड़ की परियोजना लागत पर 'उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स' (परियोजना) को लागू किया। परियोजना को विश्व बैंक से ₹ 2,777.60 करोड़ के ऋण द्वारा वित्त पोषित किया गया था और ₹ 1,180.48 करोड़ का वित्त पोषण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना था। विभिन्न व्यय जैसे भूमि का अधिग्रहण, उपकरण स्थानांतरण आदि की पूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार के हिस्से से की जानी थी। परियोजना के तहत सड़कों के निर्माण के लिए विद्युत अवसंरचना के स्थानांतरण की आवश्यकता थी। पीडब्ल्यूडी ने स्थानांतरण का कार्य पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल)[9] को आवंटित किया। अधिशासी अभियंता, विद्युत निर्माण खण्ड मुरादाबाद, पीवीवीएनएल ने विद्युत अवसंरचना स्थानांतरित करने के लिए डिपॉजिट कार्य के रूप में ₹ 35.34 करोड़ मूल्य के 22 आगणन तैयार किये (2016–17)। विश्व बैंक प्रभाग, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद ने ₹ 35.34 करोड़ की सारी राशि जमा की (मार्च 2016 एवं मार्च 2018)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूपीपीसीएल के निर्णय के विपरीत, अधिशासी अभियंता, विद्युत निर्माण खण्ड मुरादाबाद, पीवीएनएल ने उक्त 22 प्राक्कलनों में 15 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभार के स्थान पर स्थापना, लेखापरीक्षा एवं लेखा प्रभार[10] (ए.ए. प्रभार) 31.50 प्रतिशत की दर से ₹ 8.50 करोड़ की राशि को शामिल किया। अधिशासी अभियंता, विद्युत निर्माण खण्ड मुरादाबाद, पीवीवीएनएल द्वारा प्राक्कलनों में सम्मिलित प्रभारों की तर्कसंगतता सुनिश्चित करने में पीडब्ल्यूडी विफल रहा तथा पर्यवेक्षण प्रभारों की देय राशि ₹ 4.05 करोड़ (15 प्रतिशत की दर से गणित) से ₹ 4.45 करोड़ अधिक अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट–3.3** में विस्तृत है। इस प्रकार, लोक निर्माण विभाग ने विद्युत अवसंरचना के स्थानांतरण हेतु पीवीवीएनएल को ₹ 4.45 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

---

[9] यूपीपीसीएल की सहायक कम्पनी।

[10] योजना/परियोजना के निर्माण के लिए डिस्कॉम द्वारा स्थापना लेखापरीक्षा और लेखा शुल्क वहाँ शामिल किये जाते हैं, जहां डिस्कॉम स्वयं के लिए इस तरह के निर्माण कार्य का प्रस्ताव करता है।

अपने उत्तर में, मुख्य अभियंता, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, लोक निर्माण विभाग ने कहा (मार्च 2022) कि पीवीवीएनएल से अतिरिक्त भुगतान वापस करने का अनुरोध किया गया है और उनके स्तर पर कार्यवाही अभी प्रतीक्षित है।

उत्तर लेखापरीक्षा प्रेक्षण की पुष्टि करता है और वसूली आज तक (अप्रैल 2022) प्रभावी नहीं हुई है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

3.4 ठेकेदार को अधिक भुगतान

लोक निर्माण विभाग ने एक सड़क कार्य में पानी के टैंकर, पानी की लागत की उच्च दर, और अतिरिक्त ओवरहेड शुल्क आरोपित किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 3.20 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) की मानक डेटा बुक और उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (उ.प्र. पीडब्ल्यूडी) के दरों की अनुसूची में दी गई श्रम और मशीन की दरों के अनुसार विश्लेषण की गई मद दरों के आधार पर सड़क कार्य का आगणन तैयार किया जाता है। अग्रेतर, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिपत्र (जुलाई 2012) के अनुसार, कार्य की लागत ₹ 50 करोड़ से अधिक होने पर आठ प्रतिशत की दर से ओवरहेड शुल्क लगाया जाना है।

सरकार ने राम जानकी सड़क (राज्य राजमार्ग–72) किमी 152 से किमी 191 तक 40 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 90.62 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 2010)। मुख्य अभियंता (सीई), गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग ने कार्य की स्वीकृत लागत पर विस्तृत अनुमान को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 2010)। अधीक्षण अभियंता (एसई), देवरिया अंचल, लोक निर्माण विभाग ने उक्त कार्य हेतु ₹ 73.26 करोड़ का एक अनुबंध[11] निष्पादित (अगस्त 2010) किया। कार्य अगस्त 2010 में शुरू किया गया था और ₹ 66.83 करोड़ की लागत से जनवरी 2017 में पूर्ण किया गया था। ठेकेदार को अंतिम भुगतान अप्रैल 2018 में किया गया था।

अधिशासी अभियंता (ईई), निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग देवरिया के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2018 एवं फरवरी 2020) में पाया गया कि 'सब–ग्रेड एवं अर्थेन शोल्डर के निर्माण' कार्य हेतु दर का विश्लेषण करते समय विभाग ने पानी की कीमत के लिए ₹ 200 प्रति किलोलीटर (कि.ली.) की गलत दर और क्रमशः ₹ 20 प्रति कि.ली. और ₹ 200 प्रति घंटे की स्वीकार्य दरों के बजाय पानी के टैंकर के किराया शुल्क के लिए ₹ 327.50 प्रति घंटे की दर से गलत दर आरोपित करके उक्त मद की दर ₹ 216 प्रति घनमीटर निर्धारित की। पानी की लागत और पानी के टैंकर के किराया प्रभार के लिए स्वीकार्य दरों को आरोपित करने पर, लेखापरीक्षा ने उपरोक्त कार्य के लिए ₹ 164 प्रति घनमीटर **(परिशिष्ट–3.4)** की दर निर्धारित की। उपरोक्त गलत दर आरोपित करने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को 4,84,425.47 घनमीटर सब–ग्रेड एवं अर्थेन शोल्डर के निर्माण पर ₹ 2.52 करोड़[12] का अधिक भुगतान हुआ। अग्रेतर, विभाग ने आठ प्रतिशत की स्वीकार्य दर के विरूद्ध 10 प्रतिशत की दर से ओवरहेड शुल्क

---

[11] मैसर्स सीएस इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, बलिया के साथ अनुबंध संख्या 10/एस.ई. देवरिया सर्किल/10।

[12] 4,84,425.47 घनमीटर x (₹ 216 - ₹ 164) = ₹ 2,51,90,124.44।

अनुमत किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 0.68 करोड़ की राशि का अधिक भुगतान हुआ **(परिशिष्ट–3.5)**।

इस प्रकार, विभाग ने ठेकेदार को ₹ 3.20 करोड़[13] का अधिक भुगतान कर अनुचित लाभ पहुँचाया (अप्रैल 2018)।

ईई (जनवरी 2020 और मई 2022) ने अपने उत्तर में कहा कि जल भत्ते की दर ₹ 200 प्रति कि.ली. ली गई थी जिसमें ढुलाई, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्ज आदि शामिल था, जबकि पानी की लागत ₹ 20 प्रति कि.ली. की दर से लिया गया था। अग्रेतर, ईई ने कहा कि पानी की लागत दर अनुसूची में दिये गये ₹ 25.40 प्रति कि.ली. दर से कम थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सड़क एवं सेतु के लिए मोर्थ की मानक डाटा बुक के अनुसार, जल की लागत, कार्य शीर्ष 'सब–ग्रेड एवं अर्थेन शोल्डर के निर्माण' के अन्तर्गत उल्लिखित है तथा पानी की लीड एवं लिफ्ट के लिए 'वाटर टैंकर 6 किमी लीड के साथ' शीर्ष के अन्तर्गत अलग से अनुमन्य है। इस प्रकार, विभाग का यह तर्क कि दर जल भत्ते के लिए थी, सही नहीं है। इसके अलावा, विभाग ने उसी आगणन में शामिल अन्य मदों के लिए दर के विश्लेषण में 'पानी की लागत' के लिए ₹ 20 प्रति कि.ली. की दर आरोपित की।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग

3.5 वास्तुशिल्प सेवाओं पर निष्फल व्यय

बाधामुक्त भूमि और उचित माँग के निर्धारण के अभाव में यूपीएसआईडीसी ने इंटीग्रेटेड मिनी टाउनशिप और बहुमंजिला आवासीय परिसर के लिए वास्तुशिल्प सेवाओं पर ₹ 20.13 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) की वित्तीय हस्तपुस्तिका (एफएचबी) के खंड-VI के प्रस्तर–378 में प्रावधान है कि किसी भी भूमि पर कोई काम तब तक शुरू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसे जिम्मेदार सिविल अधिकारियों द्वारा विधिवत नहीं सौंपा गया हो। अग्रेतर, एफएचबी खंड-V (भाग-I) के प्रस्तर–169 के प्रावधान में वर्णित है कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी से सार्वजनिक धन के व्यय के सम्बन्ध में उतनी ही सतर्कता बरतने की अपेक्षा की जाती है जितनी कि एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति उसके अपने पैसे के व्यय के सम्बन्ध में करेगा। वित्त विभाग, जीओयूपी ने भी निर्देश दिया (जुलाई 2014) कि मानकों के अनुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही कार्य की स्वीकृति दी जानी चाहिए।

तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी)[14] ने अपनी 284वीं बोर्ड बैठक (फरवरी 2014) में नोएडा की तर्ज पर आवासीय और बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की। तद्नुसार, यूपीएसआईडीसी ने ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद में निम्नलिखित परियोजनाओं को निष्पादित करने का निर्णय लिया।

---

[13] ₹ 2,51,90,124.44 + ₹ 68,07,249.17 ।

[14] यूपीएसआईडीसी को जून 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विलय कर दिया गया था।

इंटीग्रेटेड मिनी टाउनशिप

मुख्य अभियंता (सीई), यूपीएसआईडीसी ने 'ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, गाजियाबाद में इंटीग्रेटेड मिनी टाउनशिप के बुनियादी ढाँचे और भवनों के विकास के लिए एवं महायोजना और विस्तृत वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग डिजाइन के कार्य', के लिए एक वास्तुकार[15] के साथ एक अनुबंध (जून 2015) किया। वास्तुशिल्प फर्म को महायोजना (पार्ट–ए–स्टेजवाइज) तैयार करने के लिए ₹ 3.50 लाख प्रति एकड़ और विस्तृत वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग डिजाइन (पार्ट–बी) के लिए प्रोजेक्ट की लागत का 3.5 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था। कार्य शुरू करने और पूर्ण करने की निर्धारित तिथियाँ क्रमशः जून 2015 और दिसम्बर 2015 थी। वास्तुकार को अगस्त 2015 तक गाजियाबाद में दो ग्रामों के 981.55 एकड़ (पचायरा में 295.11 एकड़ और मीरपुर हिंदू में 686.44 एकड़) के क्षेत्र के लिए महायोजना के चरण I[16] कार्य के लिए ₹ 3.92 करोड़[17] का भुगतान किया गया। तब से, अभिलेखों में बिना किसी लिखित कारण के इस परियोजना को रोक दिया गया था।

बहुमंजिला आवासीय परिसर

इसी प्रकार, यूपीएसआईडीसी ने ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद में बहुमंजिला आवासीय परिसर के विकास के लिए वास्तुशिल्प सेवाएं प्रदान करने हेतु कार्य की लागत[18] के तीन प्रतिशत की दर से व्यापक वास्तुशिल्प परामर्श सेवाओं के लिए एक वास्तुकार[19] को कार्य आवंटित किया (मई 2014)। कार्य शुरू करने और पूरी करने की निर्धारित तिथि क्रमशः 19 मई 2014 और 18 जनवरी 2017 थी।

यूपीएसआईडीसी ने ट्रोनिका सिटी में दो सेक्टरों, अर्थात् बी–4 और सी–3 में बहुमंजिला आवासीय परिसर के लिए मानचित्र (अप्रैल 2015) स्वीकृत किये। वास्तुकार द्वारा सेक्टर बी–4 और सेक्टर सी–3 में निर्माण के लिए क्रमशः ₹ 1,799.27 करोड़ और ₹ 494.53 करोड़ के विस्तृत आगणन तैयार किये गए। अग्रेतर, यूपीएसआईडीसी ने केवल आवासीय सेक्टर सी–3 के लिए प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (जनवरी 2016)। प्राधिकरण ने जून 2015 तक वास्तुकार को वास्तुशिल्प सेवाओं के लिए ₹ 16.21 करोड़[20] का भुगतान किया। हालाँकि, सेक्टर बी–4 और सी–3 में बहुमंजिला आवासीय परिसरों के लिए आज तक (दिसम्बर 2021) कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था।

उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया (अक्टूबर 2021):

- यूपीएसआईडीसी ने माँग का आंकलन किये बिना दोनों परियोजनाओं को शुरू किया क्योंकि कोई माँग सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
- यूपीएसआईडीसी ने इंटीग्रेटेड मिनी टाउनशिप के लिए भूमि[21] का अधिग्रहण किया,

---

[15] मैसर्स सी.पी. कुकरेजा, नई दिल्ली।

[16] चरण-I: मालिक की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए, साइट बाधाओं और क्षमता की जाँच करने के लिए, और मालिक के अनुमोदन के लिए एक संक्षिप्त डिजाइन तैयार करने के लिए।

[17] अग्रिम भुगतान - ₹ 28.50 लाख (जून 2015), पहला चालू खाता (आरए) बिल ₹ 1.67 करोड़ (जुलाई 2015) का और दूसरा आरए बिल ₹ 1.96 करोड़ (अगस्त 2015)।

[18] यूपीएसआईडीसी ने ₹ 1,152.48 करोड़ की राशि के आवासीय भवन परिसर के निर्माण की लागत का प्रारंभिक आगणन तैयार किया।

[19] मैसर्स सी.पी. कुकरेजा, नई दिल्ली।

[20] 13वें आर.ए. बिल (जून 2015) तक।

[21] ग्राम पचायरा और मीरपुर हिंदू में क्रमशः 285.50 एकड़ (फरवरी 2008) और 195.49 एकड़ (नवम्बर 2013)।

हालाँकि, किसानों द्वारा अतिक्रमण/मुकद्मों[22] के कारण इसे सम्पूर्ण भूमि का भौतिक कब्जा नहीं मिल सका। यूपीएसआईडीसी ने परियोजनाओं की शुरूआत की और भूमि की बाधामुक्त उपलब्धता के सम्बन्ध में एफएचबी के प्रावधानों/जीओयूपी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए वास्तुविद को कार्य सौंपा।

बहुमंजिला आवासीय परिसर के लिए, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) ने मुख्य रूप से सक्षम प्राधिकारी का भूमि उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में यूपीएसआईडीसी की विफलता के कारण सेक्टर बी–4 के लिए पर्यावरण मंजूरी नहीं दी क्योंकि सेक्टर बी–4 व्यावसायिक उपयोग के लिए था।

- परियोजना पूरा होने के सम्बन्ध में ट्रोनिका सिटी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसोसिएशन) द्वारा दायर रिट याचिका[23] में, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में (जून 2018), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), यूपीएसआईडीए ने अपने आदेश (14 अगस्त 2019) में कहा कि अचल सम्पत्ति क्षेत्र में मंदी के फलस्वरूप पर्याप्त माँग की कमी के कारण, वित्तीय संसाधनों की कमी और अब तक भूमि की उपलब्धता की कमी के कारण, परियोजनाओं का कार्यान्वयन यूपीएसआईडीए के हित में व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि एसोसिएशन द्वारा पुष्ट माँग को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था।

इस प्रकार, यूपीएसआईडीए द्वारा दोनों परियोजनाओं को **₹** 20.13 करोड़ का व्यय करने के बाद, भूमि की बाधा मुक्त उपलब्धता और माँग की स्थिरता का आंकलन करने के सम्बन्ध में उचित प्रयास नहीं करने के कारण, स्थगित कर दिया गया।

यूपीएसआईडीए ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में कहा कि त्वरित योजना और इसके कार्यान्वयन की आवश्यकता वाले तात्कालिकता खंड के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया था। लेकिन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के लागू होने के कारण, किसानों अधिक मुआवजा प्राप्त करने को आकर्षित हुए और बाधाएँ शुरू हुई। इसलिए, साइट के मुद्दों को दूर करने के लिए, इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नियोजित विकास के लिए महायोजना आदि के लिए सलाहकार को नियुक्त करना आवश्यक था। इसमें आगे कहा गया है कि, भूमि उपयोग के लिए पर्यावरण एजेंसी द्वारा प्रेक्षण के कारण सेक्टर बी–4 में काम शुरू नहीं किया जा सका।

यूपीएसआईडीए का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपीएसआईडीए ने माँग का आंकलन किये बिना और भूमि और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना परियोजनाएँ शुरू की। अग्रेतर, जून 2015 में आर्किटेक्ट की नियुक्ति के समय, यूपीएसआईडीसी को स्थलों पर बाधाओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2022/जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

सरकार, परियोजनाओं को शुरू करने से पूर्व बाधामुक्त भूमि की उपलब्धता और माँग का आंकलन सुनिश्चित करने में विफलता जिसके कारण निष्फल व्यय हुआ, हेतु सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए, प्रकरण की जाँच कर सकती हैं।

---

[22] ग्राम मीरपुर हिंदू: रिट याचिका संख्या 72075/2011 और 49541/2014 क्रमशः 12 दिसम्बर 2011 और 11 सितम्बर 2014 को गांव के भूमि मालिकों द्वारा दायर की गई जो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

[23] रिट याचिका संख्या 21412/2018।

3.6 प्रदर्शनी एवं कार्यालय भवन के अनाधिकृत निर्माण पर निष्फल व्यय

बाधामुक्त भूमि सुनिश्चित किये बिना, पूर्ववर्ती यूपीएसआईडीसी ने औद्योगिक भूमि पर अमौसी, लखनऊ में प्रदर्शनी एवं कार्यालय भवन का निर्माण शुरू किया और ₹ 27.15 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी)[24] ने अपनी 284वीं बोर्ड बैठक (फरवरी 2014) में औद्योगिक क्षेत्र, अमौसी, लखनऊ में प्लॉट बी–9[25] पर एक कैंप कार्यालय भवन बनाने का निर्णय लिया। तत्पश्चात्, कार्यालय भवन के वास्तुशिल्प चित्र/डिजाइन के लिए, मुख्य अभियंता (सीई) ने एक वास्तुकार फर्म[26] को ₹ 4.50 करोड़ (सेवा कर के अतिरिक्त) का कार्य प्रदान किया (नवम्बर 2014)। अग्रेतर, निर्माण कार्य के लिए, मुख्य अभियंता ने एक ठेकेदार[27] के साथ ₹ 111.73 करोड़ का अनुबंध किया (अक्टूबर 2015)। ठेकेदार ने काम शुरू किया (अक्टूबर 2015) लेकिन 18 प्रतिशत काम पूरा करने के बाद, काम[28] रोक दिया (नवम्बर 2016) और बिलों के लंबित भुगतान, बाधामुक्त स्थल प्रदान करने में विफलता के कारण कार्य बाधा आदि का हवाला देते हुए यूपीएसआईडीसी के विरूद्ध मध्यस्थता क्लॉज का आह्वान किया (जनवरी 2017)। यूपीएसआईडीसी ने दिसम्बर 2015 से जुलाई 2016 के दौरान ठेकेदार को ₹ 22.42 करोड़[29] का भुगतान किया था। इसके अलावा, यूपीएसआईडीसी ने निर्माण के लिए वास्तुशिल्प चित्र/डिजाइन के लिए वास्तुकार को ₹ 4.73 करोड़[30] का भुगतान भी किया था।

मध्यस्थता कार्यवाही के मद्देनजर, यूपीएसआईडीसी ने महाप्रबंधक (विधिक) से कानूनी राय प्राप्त करने के बाद जिसने आरक्षित मूल्य[31] का निर्धारण करने के बाद इमारत की नीलामी की राय दी (नवम्बर 2017), अर्ध–निर्मित भवन को 'जैसा है जहाँ है' के आधार पर नीलामी करने का निर्णय लिया (जनवरी 2018)। इसके अलावा, 298वीं बोर्ड बैठक (29 जनवरी 2018) में लिए गए निर्णय के अनुसार, मौजूदा अर्ध–निर्मित भवन का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा एक समिति का गठन (अप्रैल 2019) किया गया, जिसने आरक्षित मूल्य ₹ 49.31 करोड़[32] तय किया। समिति की बैठक (04 जुलाई 2019) में यह राय दी गई कि भू–उपयोग परिवर्तन एवं क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है।

---

[24] यूपीएसआईडीसी को जून 2018 में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) में मिला दिया गया था।

[25] माप में 7,900 वर्गमीटर लगभग।

[26] मैसर्स सी.पी. कुकरेजा, नई दिल्ली।

[27] मैसर्स अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन ग्रुप, नई दिल्ली।

[28] ठेकेदार ने दो बेसमेंट का निर्माण किया था और भवन की पहली मंजिला और दूसरी मंजिल का 50 प्रतिशत कार्य पूरा कर चुका था।

[29] ₹ 22.42 करोड़ (चौथे और पांचवें आरए बिल की लंबित राशि अर्थात् ₹ 1.25 करोड़ और ₹ 4.50 करोड़ क्रमशः अदालती कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए शामिल नहीं है) : मोबिलाइज़ेशन एडवांस (₹ 5.59 करोड़) + पहला आरए बिल (₹ 4.80 करोड़) + दूसरा आरए बिल (₹ 4.53 करोड़) + तीसरा आरए बिल (₹ 2.95 करोड़) + चौथा आरए बिल (₹ 3.22 करोड़) + सुरक्षित अग्रिम (₹ 1.33 करोड़)।

[30] जनवरी 2015 से मार्च 2015 के दौरान।

[31] भूखण्ड के वर्तमान मूल्य, आंशिक निर्माण के मूल्य और उस पर ब्याज, ठेकेदार के लंबित बिलों और अंतिम निर्णय तक होने वाले कानूनी खर्चों के समायोजन के बाद।

[32] औद्योगिक भूमि प्रीमियम, सिविल कार्यों पर होने वाले व्यय, कानूनी व्यय एवं जून 2019 तक के ब्याज को ध्यान में रखते हुए।

प्रकरण पर विचार करने के बाद, समिति ने लंबित अदालती मामलों और भूमि उपयोग के परिवर्तन के आलोक में प्रकरण को पुनर्विचार के लिए महाप्रबंधक (विधिक) को वापस भेजने का निर्णय लिया। तद्नुसार, महाप्रबंधक (विधिक) ने राय दिया (नवम्बर 2019) कि लंबित अदालती मामलों और मध्यस्थता के कारण भवन की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित न किया जाए।

उपरोक्त मामले में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- शासनादेश (जुलाई 2014) के अनुसार मानकों के अनुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही कार्य की स्वीकृति दी जा सकती है। हालाँकि, यूपीएसआईडीसी ने प्लॉट बी–9 पर चल रहे अदालती मामलों[33] से अवगत होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य शुरू किया।

- अग्रेतर, उत्तर प्रदेश राज्य विकास क्षेत्र (योजनाओं की तैयारी एवं अंतिम रूप) विनियम, 2004 के प्रस्तर 3.3.8 में निर्धारित भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रावधानों का पालन न करते हुए, यूपीएसआईडीसी ने सार्वजनिक/अर्ध–सार्वजनिक (वाणिज्यिक उपयोग) के लिए प्लॉट बी–9 पर कार्यालय भवन का निर्माण शुरू किया जो कि औद्योगिक उपयोग के लिए था।

इस प्रकार, भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए अपने विनियमों और भूखण्ड पर लंबित अदालती मामलों की अनदेखी करते हुए, यूपीएसआईडीसी ने एक अनधिकृत निर्माण पर ₹ 27.15 करोड़ का व्यय किया, जो कार्य रूकने (नवम्बर 2016) के पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद निष्फल रहा।

प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2021) कि अदालती मामलों और मध्यस्थता के मामलों के निपटारे के बाद नीलामी की जाएगी। यह भी कहा गया कि मुख्य अभियंता के खिलाफ कार्यवाही की गई है और मामले की जाँच की जा रही है।

प्राधिकरण का उत्तर लेखापरीक्षा प्रेक्षण की पुष्टि करता है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

सरकार उन चूकों के लिए जिनके कारण निष्फल व्यय हुआ, सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सकती है।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

3.7 ₹ 1.95 करोड़ के आयकर का परिहार्य भुगतान

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के उल्लंघन में यूपीनेडा ने सरकारी निधियों पर अर्जित ब्याज आय को अपनी आय माना और परिणामस्वरूप ₹ 1.95 करोड़ के परिहार्य आयकर का भुगतान किया।

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) राज्य सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के सम्बन्ध में और राज्य के लोगों के लाभ के लिए

[33] (i) प्रिसिजन ऑटो पार्ट्स और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 2219/(एम/बी) 2014 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थी। (ii) मैसर्स अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया याचिका संख्या 137/1998 में सुनवाई चल रही थी।

गैर–पारंपरिक ऊर्जा का दोहन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। परियोजनाओं के निष्पादन के लिए, यूपीनेडा सरकार और अन्य ग्राहक विभागों/एजेंसियों से निधि प्राप्त करती है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों (मार्च 2012 एवं मई 2015) में प्रावधान है कि यदि सरकार द्वारा जारी निधियों पर ब्याज अर्जित किया गया है तो इस प्रकार अर्जित ब्याज सरकार की आय होगी तथा इसे सरकारी खजाने में क्रेडिट/जमा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2022) कि यूपीनेडा ने सरकार से प्राप्त निधियों को बैंकों में रखा और वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान ₹ 5.99 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। इसने सरकार के आदेशों के अनुसार ब्याज आय को सरकारी खजाने में जमा नहीं किया। इसके बजाय, इसने सरकारी निधियों पर ब्याज आय को अपनी आय के रूप में माना और वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए वार्षिक आयकर रिटर्न भरने के लिए उसे अपनी कुल आय की गणना के लिए लेखीकृत किया। परिणामस्वरूप, उक्त अवधि के दौरान यूपीनेडा पर आयकर का भार ₹ 1.95 करोड़ **(परिशिष्ट–3.6)** से बढ़ गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि यूपीनेडा ने सम्बन्धित वर्षों के दौरान अपनी बैलेंस शीट तैयार करते समय, सरकारी निधियों पर ब्याज आय को अपनी देनदारी माना है और इस सम्बन्ध में लेखा पुस्तकों में प्रकटीकरण दिया गया है। अग्रेतर, वित्तीय वर्ष 2018–19 और उसके बाद से, यूपीनेडा ने अपनी कुल आय से सरकारी निधि पर अर्जित ब्याज को इस आधार पर कि सरकार द्वारा इसकी माँग की जा सकती है, हटाकर अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है।

इस प्रकार, यूपीनेडा ने न केवल सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया और ब्याज को सरकारी खजाने में जमा नहीं किया बल्कि ₹ 1.95 करोड़ के आयकर का अतिरिक्त भार भी वहन किया।

प्रकरण सरकार एवं प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग

3.8 आयकर अधिनियम, 1961 के तहत छूट न लेने के कारण हानि

सेंटर फॉर ई–गवर्नेंस द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के तहत छूट नहीं लेने के कारण, राजकोष को ₹ 21.59 करोड़ की हानि हुई।

आयकर अधिनियिम, 1961 की धारा 10(46) में प्रावधान है कि किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या ट्रस्ट या आयोग को उत्पन्न होने वाली कोई भी निर्दिष्ट आय[34], जो केंद्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा, आम जनता के लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को विनियमित या प्रशासित करने के उद्देश्य से स्थापित या गठित की गई हो, कुल आय का हिस्सा नहीं है, इसलिए आयकर से छूट दी जाएगी। इसके लिए, संस्था किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होनी चाहिए और इसे केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। अग्रेतर, वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46) के तहत छूट प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अधिसूचित (जून 2013) किया।

---

[34] इसमें ऐसी आय पर अर्जित ब्याज भी शामिल है।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2022) कि सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेंटर फॉर ई–गवर्नेंस (सीईजी) का गठन (मार्च 2006) सरकार की सहायता और समर्थन करने के लिए एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करने और ई–गवर्नेंस परियोजनाओं को शुरू करने मे सचिवालय और पूर्णकालिक आंतरिक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करने के लिए किया था। सीईजी किसी भी व्यवासायिक गतिविधि में शामिल नहीं है। मानदण्डों को पूरा करने के बावजूद सीईजी ने अपने गठन के 15 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी आयकर अधिनियम की उक्त धारा के तहत छूट के लिए आवेदन नहीं किया। उपरोक्त छूट न लेने के कारण, 2006–07 से 2020–21 की अवधि के दौरान सीईजी के बैंक खातों में रखी गई निधियों पर अर्जित ब्याज पर बैंकों द्वारा ₹ 21.59 करोड़ के आयकर की कटौती की गई।

इस प्रकार, सीईजी के स्तर पर निष्क्रियता के कारण 2006–07 से 2020–21 की अवधि के दौरान परिहार्य आयकर के रूप में ₹ 21.59 करोड़ की हानि हुई। यह भी उल्लेखनीय है कि सीईजी ने आज तक (जुलाई 2022) आयकर अधिनियम की उक्त धारा के तहत छूट के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसा आयकर निर्धारित तरीके से सीईजी के पक्ष में अधिसूचना जारी होने तक लगाया जाता रहेगा।

प्रकरण सरकार एवं प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

पर्यटन विभाग

3.9 सरकारी प्राप्तियों को सरकारी खाते से बाहर रखा गया

पर्यटन निदेशालय किराए के रूप में प्राप्त ₹ 1.10 करोड़ की राशि राज्य कोषागार में जमा करना सुनिश्चित करने में विफल रहा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व प्राप्तियाँ और सभी ऋण राज्य की संचित निधि का हिस्सा होंगे।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जीओयूपी) द्वारा जारी (जनवरी 1950) कोषागार नियमों के नियम 7 (1) में प्रावधानित है कि संविधान के अनुच्छेद 266, 267 या 284 में परिभाषित सभी धन सरकारी कर्मचारी को उनकी आधिकारिक क्षमता में प्राप्त या प्रस्तुत किये गए, बिना किसी देरी के, कोषागार में या बैंक[35] में पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा। उपर्युक्त रूप में प्राप्त धन को विभागीय व्यय को पूरा करने के लिए विनियोजित नहीं किया जाएगा और न ही सरकारी खाते से अलग रखा जाएगा।

पर्यटन भवन (भवन), लखनऊ, महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय (निदेशालय), उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासनिक भवन है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (यपीएसटीडीसी) निदेशालय की ओर से भवन को किराए पर उठाने से सम्बन्धित व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है।

[35] उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी (जनवरी 1950) कोषागार नियमों के नियम 3 में प्रावधानित है कि इस तरह के धन की जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21 के तहत गवर्नर और बैंक के बीच किये गए समझौते की शर्तों द्वारा नियंत्रित होगी।

पर्यटन निदेशालय (निदेशालय), उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन की पहली और दूसरी मंजिल के व्यावसायिक उपयोग को मंजूरी दी (मार्च 1998)। निदेशालय ने वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की राय पर यूपीएसटीडीसी को निर्देश दिया (सितम्बर 2014) कि ब्याज सहित भवन के किराए की राशि विशिष्ट शीर्ष[36] के अन्तर्गत कोषागार में जमा करें। इस प्रकार, भवन को किराए पर दिए जाने से होनेवाली सारी प्राप्तियाँ कोषागार में जमा करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च 2022) कि यूपीएसटीडीसी भवन के किराए के रूप में प्राप्त राशि जमा कर रहा था, लेकिन इसने सभागार (हॉल) जो भवन का हिस्सा था को किराए पर उठाने से प्राप्त किराया आय को जमा नहीं किया। यूपीएसटीडीसी ने अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2021 की अवधि के दौरान सभागार को किराए पर देने से **₹** 1.10 करोड़ का राजस्व वसूल किया लेकिन इसे विशिष्ट शीर्ष के तहत राज्य कोषागार में जमा करने में विफल रहा क्योंकि यूपीएसटीडीसी ने निदेशालय के निर्देश (सितम्बर 2014) के उल्लंघन में इसे अपनी आय माना।

इस प्रकार, कोषागार नियमावली के प्रावधान एवं निदेशालय के निर्देशों का पालन न करने के कारण, यूपीएसटीडीसी प्राप्त किराया राज्य कोषागार में जमा करने में विफल रहा। इसके अलावा, निदेशालय, यूपीएसटीडीसी द्वारा अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी में भी विफल रहा। इस प्रकार, अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2021 की अवधि के लिए **₹** 1.10 करोड़ की राशि संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के उल्लंघन में राज्य की संचित निधि से बाहर रखी गई।

प्रकरण सरकार एवं प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

3.10 लक्ष्मण शहीद स्मारक के अनाधिकृत कार्य पर व्यर्थ व्यय

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ब्रज क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विनियमित स्मारक क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में विफल रही जिसके कारण ₹ 1.36 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2010 (अधिनियम) की धारा 4 (नई धारा 20 ए) यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर ऐसे संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित स्मारक के सम्बन्ध में सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी का क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र होगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 6 (नई धारा 20 बी) यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेषों के सम्बन्ध में निषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर, राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित और सभी दिशाओं में दो सौ मीटर तक फैला हुआ है, विनियमित क्षेत्र होगा। उक्त अधिनियम की धारा 30 (बी) में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना विनियमित क्षेत्र में किसी भी निर्माण के लिए दो वर्ष तक की कैद या एक लाख तक का जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद (यूपी–बीटीवीपी)[37] ने जिला मथुरा में लक्ष्मण

---

[36] 1452–पर्यटन–800–अन्य प्राप्तियाँ–02–विविध प्राप्तियाँ।

[37] उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद (यूपी–बीटीवीपी) की स्थापना, ब्रज विरासत के सभी क्षेत्रों जैसे सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और स्थापत्य सौंदर्य गुणों के संरक्षण, विकास और रखरखाव के लिए एक योजना तैयार करने और एकीकृत पर्यटन विकास और क्षेत्र की विरासत के लिए, की गई थी, ताकि ऐसी योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी की जा सके।

शहीद स्मारक के पुनर्निमाण कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके लिए पर्यटन विभाग (जीओयूपी) ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया, और ₹ 7.81 करोड़ जीएसटी अतिरिक्त (वास्तविक आधार पर) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया (जनवरी 2020)। प्रथम किश्त के रूप में ₹ 3.91 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। प्रशासनिक अनुमोदन के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, यूपी–बीटीवीपी/पर्यटन निदेशालय/कार्यकारी एजेंसी को काम शुरू करने से पहले स्थानीय विकास प्राधिकरण/सम्बन्धित एजेंसियों/विभागों से काम की ड्राइंग/डिजाइन पर आवश्यक वैधानिक मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी सुनिश्चित करनी थी।

यूपी–बीटीवीपी ने ₹ 3.91 करोड़ की धनराशि एमवीडीए को हस्तांतरित (मार्च 2020) की। एमवीडीए ने एक ठेकेदार[38] को ₹ 6.79 करोड़ में कार्य प्रदान किया (जून 2020) तथा कार्य प्रारम्भ (जून 2020) किया गया। इसके बाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अवैध निर्माण कार्य हेतु एमवीडीए को यह बताते हुए कि चूँकि निर्माण स्थल विनियमित स्मारक क्षेत्र के अन्दर आता था, इसलिए सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् आयुक्त, आगरा मंडल से अनुमति अनिवार्य थी, नोटिस जारी किया (सितम्बर 2020)। अग्रेतर, एएसआई द्वारा एमवीडीए के खिलाफ अनधिकृत निर्माण कार्य शुरू करने के लिए, जो अक्टूबर 2020 में बंद कर दिया गया था, पुलिस में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई (अक्टूबर 2020)।

उक्त निर्माण स्थल एएसआई द्वारा संरक्षित एक प्राचीन स्मारक, श्री गोविंद देव जी मंदिर, वृंदावन के विनियमित क्षेत्र (224 मीटर के भीतर) के भीतर स्थित था, लेकिन यूपी–बीटीवीपी ने काम शुरू होने से पहले एएसआई की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया और निर्माण हेतु फंड जारी कर दिया। यूपी–बीटीवीपी ने नोटिस प्राप्त होने के बाद अनुमति के लिए आवेदन किया (अक्टूबर 2020) लेकिन एएसआई ने अनुरोध का संज्ञान नहीं लिया और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए यूपी–बीटीवीपी/एमवीडीए को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया (अक्टूबर/नवम्बर 2020)।

एमवीडीए निर्माण कार्य रूकने तक (अक्टूबर 2020) ₹ 1.36 करोड़ का व्यय कर चुका था। यूपी–बीटीवीपी द्वारा किये गए कई पत्राचार के बाद, मामले को अतिरिक्त आयुक्त, आगरा सर्कल द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, नई दिल्ली को भेजा गया (जून 2021) जिन्होंने भी निर्माण के लिए अनुमति देने से मना कर दिया (जुलाई 2021)। अग्रेतर, यूपी–बीटीवीपी ने एएसआई से प्राथमिकी वापस लेने और इस तथ्य को बताते हुए एनओसी जारी करने का अनुरोध किया (नवम्बर 2021) कि बेसमेंट के नींव के निर्माण को हटा दिया गया था और उसकी मूल स्थिति को बहाल कर दिया गया था।

इस प्रकार, यूपी–बीटीवीपी ने एएसआई से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना स्मारक से सटे एक विनियमित क्षेत्र में निर्माण कार्य पर ₹ 1.36 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया।

उत्तर में, प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि एएसआई ने कार्य शुरू करने की अनुमति देने के लिए फिर से आवेदन करने का निर्देश दिया हैं। एएसआई से एनओसी मिलने के बाद काम फिर से शुरू किया जाएगा। अग्रेतर, पहले से किया गया व्यय निष्फल नहीं है क्योंकि उस पर फिर से व्यय करने की आवश्यकता नहीं होगी।

[38] मैसर्स गर्ग रिसर्फेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपी–बीटीवीपी द्वारा किये गए पूर्व के सभी अनुरोधों को एएसआई द्वारा ठुकरा दिया गया था। इसके अलावा, एएसआई से एफआईआर वापस लेने के अपने अनुरोध में, यूपी–बीटीवीपी ने स्वयं पुष्टि की है कि निर्मित संरचना को हटा दिया गया था और उसकी मूल स्थिति को बहाल कर दिया गया था जो सिद्ध करता है कि व्यय व्यर्थ हो गया है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

तान्या सिंह

लखनऊ **(तान्या सिंह)**

दिनांक 7 दिसम्बर 2022 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II)**

उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक 12 दिसम्बर DEC 2022 **भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक**